

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष

झारखण्ड सरकार

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix

अध्याय-1: राज्य सरकार के वित्त

झारखण्ड की रूपरेखा		1
परिचय	1.1	2
2012-13 के राजकोषीय संचालन का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	4
बजट आकलन एवं वास्तविक	1.1.3	5
लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजट	1.1.4	6
बजट के मुख्य नीति उद्गम	1.1.5	6
राज्य के संसाधन	1.2	7
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	7
राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि	1.2.2	10
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	11
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	13
भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	1.3.2	16
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	1.3.3	16
13वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग	1.3.4	17
त्यक्त राजस्व	1.3.5	18
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	18
ऋण एवं अग्रिमों से वसूली	1.4.1	19
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	20
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1.4.3	20
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	20
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	21
व्यय के संघटक एवं वृद्धि	1.6.1	21
राजस्व व्यय (आर.ई.)	1.6.2	23
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	24
मुख्य कार्यक्रम	1.6.4	26
स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता	1.6.5	28
स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली	1.6.6	28
व्यय की गुणवत्ता	1.7	31
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	32
व्यय के इस्तेमाल की दक्षता	1.7.2	33

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	36
पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.8.1	36
अपूर्ण परियोजनाएँ	1.8.2	36
निवेश एवं वापसी	1.8.3	37
सार्वजनिक निजी साझेदारी (सा.नि.सा.) परियोजनाओं में निवेश	1.8.4	38
राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम	1.8.5	39
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.6	40
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	41
परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन	1.9.1	41
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	41
आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन	1.9.3	43
प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व	1.9.4	43
ऋण प्रबंधन	1.10	44
ऋण की रूप रेखा	1.10.1	44
ऋण धारणीयता	1.10.2	44
राजकोषीय असंतुलन	1.11	46
घाटे की प्रवृत्तियाँ	1.11.1	46
वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसकी वित्तीय प्रणाली	1.11.2	47
घाटा/अधिशेष के गुण	1.11.3	48
झारखण्ड सरकार का बाजार उधार	1.12	49
परिचय	1.12.1	49
झारखण्ड में बाजार उधार की स्थिति	1.12.2	50
ऋण धारणीयता संकेतक - बाजार ऋण के सापेक्ष कुल दायित्व	1.12.3	50
बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति	1.12.4	52
ब्याज दर की रूपरेखा	1.12.5	53
पर्याप्त रोकड़ शेष की उपलब्धता के बावजूद बाजार ऋण की उगाही किया गया	1.12.6	53
बाजार उधार के लिए अग्रिम सांकेतिक कैलेंडर	1.12.7	54
भा.स. द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक का उधार	1.12.8	54
बाजार उधार की उपयोगिता की निगरानी प्रणाली	1.12.9	55
अनुपालन	1.13	56
निष्कर्ष	1.14	56
अनुशंसाएँ	1.15	57

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
अध्याय 2: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	59
बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया	2.2	59
विनियोग लेखे के सारांश	2.3	60
वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन	2.4	61
आबंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग	2.4.1	61
सतत बचत	2.4.2	62
आकस्मिक निधि से अग्रिम	2.4.3	66
वर्ष 2011-12 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को नियमित करने की आवश्यकता	2.4.4	67
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को नियमित करने की आवश्यकता	2.4.5	67
परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.4.6	68
निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.4.7	68
प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण नहीं करना	2.4.8	69
व्यय का वेग	2.5	69
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	2.6	69
अनुदान सं.1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव	2.7	70
निष्कर्ष	2.8	73
अनुशंसाएँ	2.9	74
अध्याय 3: वित्तीय प्रतिवेदन		
भुगतित अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	75
स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों का लेखापरीक्षा एवं लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.2	76
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.1	76
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा	3.2.2	77
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक विपत्रों का विलंबित प्रस्तुतीकरण	3.3	78
दुर्विनियोग/गबन, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन	3.4	78
निधि आहरित कर बैंक खाते/ पी.एल. खाते में रखना	3.5	79
खुफिया सेवा निधि के प्रशासनिक लेखा परीक्षा का बकाया प्रमाणपत्र	3.6	80
निष्कर्ष	3.7	80
अनुशंसाएँ	3.8	81

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 पार्ट-ए	झारखण्ड का परिचय	83
परिशिष्ट 1.1 पार्ट-बी	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	84
परिशिष्ट 1.1 पार्ट-सी	वित्त लेखे की अभिन्यास	84
परिशिष्ट 1.2 पार्ट-ए	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली	85
परिशिष्ट 1.2 पार्ट-बी	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.), 2007	86
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े	87
परिशिष्ट 1.4 पार्ट-ए	वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	90
परिशिष्ट 1.4 पार्ट-बी	31 मार्च 2013 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	93
परिशिष्ट 1.5	13वें वित्त आयोग के सिफारिशों पर आवंटित अनुदान के योजनावार ब्यौरे	95
परिशिष्ट 1.6	74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XIII) के अनुसार स्थानीय शहरी निकायों के कार्यों का विवरण	98
परिशिष्ट 1.7	बाजार ऋणों पर अतिरिक्त ब्याज उत्तरदायित्व	99
परिशिष्ट 1.8	अग्रिम सांकेतिक कैलेंडर के अनुसार सरकार द्वारा बढ़ाये गए बाजार ऋण	99
परिशिष्ट 2.1	₹ 10 करोड़ अधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक अनुदानों/विनियोग की विवरणी	100
परिशिष्ट 2.2	वर्ष 2012-13 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹20 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण	102
परिशिष्ट 2.3	पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित राशि	105
परिशिष्ट 2.4	मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	106
परिशिष्ट 2.5	निधि का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	108
परिशिष्ट 2.6	₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी	109
परिशिष्ट 2.7	30 और 31 मार्च 2013 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की अभ्यर्पित राशि	111
परिशिष्ट 2.8	वर्ष के अंत में व्यय का वेग	115
परिशिष्ट 2.9	नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ व्यय वर्ष 2012-13 के दौरान असंशोधित रह गई	116
परिशिष्ट 2.10	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा पूरे आबंटन की बचत	117
परिशिष्ट 2.11	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा निरर्थक अनुपूरक	118
परिशिष्ट 2.12	बजटीय प्रावधान से अधिक व्यय	119
परिशिष्ट 2.13	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण	120

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2013 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	122
परिशिष्ट 3.2	नि.म.ले.प. डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिह्नित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	123
परिशिष्ट 4.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों, गणना के आधार एवं संक्षिप्ति की सूची	126